राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.2(15)नविवि/नियम/2016 जयपुर, दिनांक 4/1/2022.

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उप–धारा (3), जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 की उप–धारा (3), जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 48 की उप–धारा (3), अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 48 की उप–धारा (3) एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 68–ए की उप–धारा (3) और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण या नगर पालिका, जैसी भी स्थिति हो, के क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्र से लगती हुई भूमियों को, जिस पर आबादी बसी हुई है, उसी क्षेत्र को ग्राम पंचायतों को आबादी प्रयोजनों के लिए आवंटित करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अधिकृत करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

4/1/22

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
11. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
15. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
17. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner